भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1858
जिसका उत्तर बुधवार 03 अगस्त, 2016 को दिया जाना है

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अधिशेष भूमि की बिक्री

1858. श्री रिपुन बोरा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का शहरी पुन:विकास हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की अधिशेष भूमि को बेचने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के अंतर्गत बंद पड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में दी गई सूचनाओं के संबंध में क्या योजना है; और

(ग) इससे संबंधित किसी भी समिति की नीलामी और/अथवा विनिवेश संबंधी प्रक्रिया की योजनागत रिपोर्ट क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): बंद की जा रही चार कंपनियों अर्थात् एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड, एचएमटी वाचिज लिमिटेड, एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड और तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल) के संबंध में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा एक सैद्धांतिक निर्णय दिया गया है कि इन्हें बंद कर दिए जाने के पश्चात्, इनकी भूमि को केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/राज्य सरकार के विभागों या उनकी इकाइयों को अंतरण/विक्रय किया जाए। भूमि का अंतरण/विक्रय अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकारों से पट्टे पर भूमि लिए जाने के मामले में, पट्टे की शर्तों के अनुसार इस भूमि को उन्हें वापस किए जाने का अनुमोदन कर दिया गया है।

****